



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra, Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/NH-47/MSEDCL/2024-25/ 2759

Date: 20.03.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of Nagpur-Saoner-Betul section of NH-69 from km 3.000 to km 59.300 in the state of Maharashtra and from km 137.000 to km 257.400 in the State of Madhya Pradesh on DBFOT(Annuity) basis – **Permission for laing of 11KV Electrical cable line across NH at 13 locations on Nagpur-Betul section of NH-47 Reg.**

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 4965 dated 10.02.2025.
2. MPKMVV letter no. 208 dated 29.01.2025.

It is to inform all concern that M/s MPKMVV. letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MPKMVV is as follows:

- Crossing at km 108.000, km 110.000, km 113.600, km 116.700, km 112.000, km 103.240, km 104.460, km 100.460, km 99.080, km 97.980, km 94.620 & km 80.540, 82.920.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

19/3/25

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/एनएच-47/एमएसईडीसीएल/2024-25/ 2759

दिनांक: 20.03.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-69 के नागपुर - साओनेर -बैतूल खंड को किमी 3.000 से किमी 59.300 तक और मध्य प्रदेश राज्य में किमी 137.000 से किमी 257.400 तक डीबीएफओटी (वार्षिक) आधार पर चार लेन का बनाना - एनएच-47 के नागपुर-बैतूल खंड पर 13 स्थानों पर एनएच के पार 11 केवी विद्युत केबल लाइन बिछाने की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक. 4965 दिनांक 10.02.2025.
2. एमपीकेएमवीवी पत्र क्रमांक. 208 दिनांक 29.01.2025.

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमपीकेएमवीवी. संदर्भ (2) के तहत पत्र द्वारा विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. मेसर्स एमपीकेएमवीवी द्वारा प्रस्तावित संरेखण इस प्रकार है:

- किमी 108.000, किमी 110.000, किमी 113.600, किमी 116.700, किमी 112.000, किमी 103.240, किमी 104.460, किमी 100.460, किमी 99.080, किमी 97.980, किमी 94.620 और किमी 80.540, 82.920 पर क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एमगंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और मामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपर्युक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियां/टिप्पणियां सार्वजनिक टिप्पणियां जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई टिप्पणी/आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

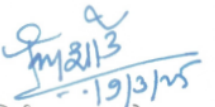
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल ,

उप कार्यालय के सामने पुलिस आयुक्त यातायात (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष: 0712-2520091 ईमेल: ronagpur@nhai.org


(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन , एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]